

२२  
२५

यकील वादीगण उपस्थित नहीं। वादी  
गण स्वयं भी उपस्थित नहीं। इनकी अनुमति  
बिना कोई कारण भी पेश नहीं हुआ। बार-  
बार आवाज लगावई गई। अंतः वाद-पट  
अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया  
जाया है।

पशुवनी नियम में सुमार की  
जाकर नम्बर से कम हो गया। तरतीब  
तकमिल होकर दखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
तारानगर चूरु